झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

महत्वपूर्ण सूचना

दिनांकः 12.12.2018

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20.11.2018 के द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों तथा 11 गैर अनुसूचित जिलों के समूह–ख के अराजपत्रित पद, समूह–ग एवं समूह–घ के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु अगले 10 वर्षों तक सम्बन्धित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया है तथा राज्य स्तरीय उपर्युक्त समूहों के पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है।

2. आयोग के स्तर से उपर वर्णित पद समूहों के पदों पर भर्ती सम्बन्धी निर्गत होने वाले विज्ञापनों में उपर्युक्त प्रावधान का पालन करने निमित्त राज्य के सभी कोटि (अनारक्षित कोटि/ आरक्षित कोटि) के स्थानीय निवासियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 अथवा इसके उपरान्त निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र की संख्या/निर्गम तिथि/ जारी करने वाले प्राधिकार का पदनाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में दर्ज किया जायेगा। आरक्षित कोटि के उम्मीद्वारों को उक्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के साथ सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का अनुमंडल पदाधिकारी/जिले के उपायुक्त के स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र धारित करना भी अनिवार्य है।

3. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में विभक्त है। अतः केन्द्र सरकार में नियोजन के लिए निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य में नियोजन हेतु मान्य नहीं है। इसी तरह अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से न्यून स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य नहीं हैं। पिछड़े वर्गों की दोनों कोटियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र में क्रिमी लेयर की स्पष्टता भी अनिवार्य शर्त्त है।

4. अतः जिन अभ्यर्थियों के पास उक्त वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें आयोग की आगामी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु आगाह करते हुए परामर्श दिया जाता है कि वे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/जहाँ लागू हो जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत करा लें।

5. **जाति प्रमाण पत्रों एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप इस सूचना के साथ संलग्न है।**

ह०/–
सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा. नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–...........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
.........पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
..................डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य..........
.... अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत....................................
जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर ....थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....
दिनांक :–
पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता.नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

<u>झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर... ... पो0.....................................थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम